प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
जहाँगीराबाद, जिला–बाराबंकी।

पत्रांक 3808/टी–3/रा0प0/मा0सं0संस्तुति लखनऊ दिनांक : 31-12 2009

विषय:– स्थायी समिति की निरीक्षण रिर्पोट के आधार पर निजी औ0प्र0 केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिर्पोट दिनांक 27–7–2009 पर दिनांक 11–9–2009 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की उक्त निरीक्षण रिर्पोट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:–

क्रम सं0	व्यवसाय / एकक जिनके लिए संस्थान / केन्द्र द्वारा स्थायी संबधन का अनुरोध किया गया।		संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
			स्थायी समिति द्वारा	डी0जी0ई0टी0 द्वारा	
1	2		3	4	5
1.	Steno (Hindi)	One Unit	One Unit	One Unit	SCIR-27/7/2009 w.e.f. Aug.09 *S/D may submit clarification regarding Technical qualification of Trade instructor & space provided for workshop.
2.	MMV	One Unit	One Unit	One Unit	
3.	Draughtsman Civil	One Unit	One Unit	One Unit	
4.	Welder	One Unit	One Unit	One Unit	
5.	COPA	One Unit	One Unit	*	
6.	Electrician	One Unit	NR	**NC	

DGET-6/24/8/2008-TC DATED 11.9.2009

प्रयोग किये गये संकेत:–

(1) एस0सी0आई0आर0–स्थायी समिति की निरीक्षण रिर्पोट
(2) एस0आई0आर0–पूरक निरीक्षण रिर्पोट
(3) डी0आई0आर0–विभागीय निरीक्षण रिर्पोट
(4) यू0सी0–विचाराधीन
(5) एन0आर0–संस्तुति नहीं किया गया।
(6) एन0सी0–विचार नहीं किया गया।

37. आपसे अपेक्षा कि जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या बिंदुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाहि कि जा सके।

विशेष :– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नही कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नही कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(राहुल देव)
अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिशु)

प्रधानाचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
बाराबंकी

पत्रांक : /टी.3/रा0प0/मा0सं0संस्तुति/ तद्दिनांकित